

मांग संख्या 34
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

आयुक्त निःशक्त के सशक्तकरण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹15.00 लाख अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹15,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।